

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुडामालानी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार, एसडीएम, गुडामालानी

उनवान :

वादीगण

गेनाराम सांवलाराम लालाराम भंवरलाल सीता पि0 जगाराम जाति कलबी निवासी आलपुरा तहसील  
गुडामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

प्रतिवादीगण

1. जगाराम पुत्र मोतीराम जाति कलबी निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. ए.डी.बी. शाखा गुडामालानी
3. तहसीलदार गुडामालानी

दावा बाबत 88,53,188 RTA


मुकदमा नम्बर :- 53/2021

निर्णय दिनांक :- 18.10.2021 (केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय आलपुरा)

वादीगण की ओर से वादीगण श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.10.2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुडामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादग्रस्त आराजी ग्राम आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 71/2, 124/2, 161/1, 286/2, 286/4, 289/1 रकबा कमशः 20-04, 12-15, 6-00, 1-15, 1-10, 4-14 बीघा कुल रकबा 46-18 बीघा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक को 1/6-1/6 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक रहन सभी खातेदारों में समान रूप से यथावत रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड पीठासीन अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, गुडामालानी

दिनांक : 15/11/21

क्रमांक: वाचक/2021/962

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी।



(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड पीठासीन अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, गुडामालानी

